राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(176)नविवि/3/1984

जयपुर, दिनांकः 1 FEB 2018

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016पार्ट/1510–30 दिनांक 25.04.2017 में गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण पर चर्चा हेतु बैठक दिनांक 15.02.2018 को आयोजित की गई है। नगरीय क्षेत्रों मे आवासीय समस्याओं के निराकरण के संबंध में सर्व सम्मिति से निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. नगरीय निकाय एवं राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा दिनांक 01.01.2001 से पूर्व आवंटित किये गये ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. मध्य आय वर्ग के आवासों को बकाया मासिक किस्त राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट देकर नियमन किया जावे एवं वर्ष 2001 के बाद उपरोक्त आवंटित आवास EWS/LIG/MIG पर शत प्रतिशत ब्याज व पेनल्टी की छूट देय है। चाहे उक्त श्रेणी के आवास का कब्जा दिया गया है अथवा नहीं साथ ही निरस्तीकरण की अवस्था में अपने स्वंय के स्तर पर बहाल किया जावें।
2. नगरीय निकायों द्वारा आवंटित किये गये या विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्माण अवधि निर्धारित किये जाने बाबत्–

राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14–ए के अन्तर्गत नीलामी के द्वारा आवासीय या व्यवसायिक भूखण्ड विक्रय किये जाते है, उनमें निर्माण की अवधि निम्न प्रकार निर्धारित की हुई हैः–

(i) 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्माण अवधि 3 वर्ष, 1000 से 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्माण अवधि 5 वर्ष, तथा 5000 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों पर निर्माण अवधि 7 वर्ष भवन निर्माण किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि में निर्माण नही करता है, तो भूखण्ड की नीलामी निरस्त हो जाती है। तत्पश्चात उसे नियमन करने हेतु पेनल्टी आरक्षित दर की 1 प्रतिशत वार्षिक आधार पर ली जाती है। यह छूट 3 वर्ष तक दी जा सकती है।

(ii) इस प्रकार नियम 17 (6) (बी) में आवंटन के प्रकरणों में निर्माण 2 वर्ष में आवश्यक है, इस अवधि में निर्माण नहीं करने पर आरक्षित दर का 5 प्रतिशत शास्ति लेकर 1 वर्ष तक अध्यक्ष तत्पश्चात 2 वर्ष तक न्यास एवं उसके पश्चात राज्य सरकार नियमन कर सकती है। निर्माण की अवधि कब से गणना की जावें, इस संबंध में योजना क्षेत्र में और आस–पास के क्षेत्र में सड़क, पेयजल, विद्युत वितरण व्यवस्था अथवा कब्जे की तिथि जो बाद में हो, इस बाबत् प्राधिकरण/न्यास स्तर पर एक–एक कमेटी का गठन किया गया है, जो यह रिपोर्ट करेगी कि योजना को विकसित कब से माना जावें। तद्नुसार ही निर्माण की अवधि की गणना की जावेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
8. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
13. सलाहाकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2017–18/71/361 दिनांक : 22-3-18

–:: कार्यालय आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.3(176)नविवि/3/1984 दिनांक 19.02.2018 में दिये गये निर्देशों में बिन्दु सं. 01 की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव– मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., ...
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., ...
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर उलबाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार